


सं. 3145-2012/15

निगरानी प्रकरण क्रमांक : /2015

प्रस्तुति दिनांक : 26. 8 .2015

**माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल
(ग्वालियर) वृत्त इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष**



सरदारसिंह पिता श्री भूरेसिंह राजपूत
आयु-वयस्क, व्यवसाय-कृषि
निवासी-सेलानी, तहसील-कसरावद,
जिला-खरगोन (म.प्र.)

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री पंकज अजमेरा
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26.8.2015
को प्रस्तुत। ...प्रार्थी

विरुद्ध

1459/26.8.2015

Gru
अधीक्षक

आयुक्त कार्यालय

(1) शेरसिंह पिता श्री रुपसिंह राजपूत
निवासी-सेलानी, तहसील-कसरावद,
जिला-खरगोन (म.प्र.)

...मूल प्रत्यर्थी

(2) गोपाल पिता श्री भीलू राजपूत

(3) सौभाग सिंह पिता श्री भूरेसिंह राजपूत

(4) दीपक पिता श्री कैलाश राजपूत

निवासी-सेलानी, तहसील-कसरावद,
जिला-खरगोन (म.प्र.)

...औपचारिक प्रत्यर्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

वाद-अतिक्रमण बाबद्

माननीय महोदय,

में प्रार्थी (मूल विपक्षी क्रमांक 1) न्यायालय अपर आयुक्त इन्दौर संभाग,
इन्दौर के रेवेन्यु केस नम्बर तथा सन् 380/2014-2015/अपील में पारित
आदेश दिनांक 04.08.2015 एवं ~~सुविचारित अतिवृत्ति (समाप्त) कसरावद,~~

~~जिला-खरगोन के राजस्व मण्डल क्रमांक 1459/26.8.2015/वृत्त इन्दौर संभाग इन्दौर~~

~~के अधीक्षक कार्यालय में पारित आदेशों के अतिक्रमण प्रत्यर्थी के पक्ष में~~

~~आदेशों के अतिक्रमण प्रत्यर्थी के पक्ष में पारित आदेशों के अतिक्रमण प्रत्यर्थी के पक्ष में~~

~~आदेशों के अतिक्रमण प्रत्यर्थी के पक्ष में पारित आदेशों से असंतुष्ट होकर यह रिवीजन निम्न आधारों~~

पर प्रस्तुत करता हूँ।

Gru

Gru

मि. 22 अक्टूबर
15/9/15

20.10.2015

आवेदकगण की आंर ल श्री पैकज
अजमेरा अभिभाषक (उपाध्यक्ष), ग्राह्यता पर
वर्क (बुने गये) अपर आयुक्त के आदेश
तैनांक 4.8.2015 की सत्य प्रतिबिम्ब
का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त
द्वारा बिना आभिव्यक्त बुलाये आदेश
पालि किया गया है, जो कि विधि
विपरीत कार्यवाही है। अतः अपर
आयुक्त का आदेश निरस्त किया
जाकर उस निदेश के साथ प्रकृत
प्रत्यवातन किया जाता है कि
अधीनस्थ-यात्राकर का आभिव्यक्त
मेगाया आकर उमत्र पक्ष को
सुनवाई का अवसर देते हुये
प्रकृत का निराकरण की।

का

अधीनस्थ

अधीनस्थ